



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 11 दि. 03.04.2017

स्पष्टीकरण

**विषय:- कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में।**

कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-761 दिनांक 20.02.2017 एवं संशोधन आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम -765 दिनांक 03.03.2017 जारी किये गये थे। इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि कृषि श्रेणी में बूंद-बूंद योजना के अन्तर्गत ऐसे कनेक्शन जो 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य श्रेणी में परिवर्तित हो गये हैं ऐसे कनेक्शनों पर भी सरकार द्वारा अनुदान के पश्चात् प्रभावी विद्युत दर रु. 0.90/- प्रति युनिट लागू होगी।

आज्ञा से

(यू.एस. चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर ए एंड सी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर